फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डूंगरसिंह बनाम सालगराम वगैरह

14/2019

किस्म मुकदमा 225 RTA /LR न. 14 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/1/2020	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी जा चुकी है। वकील अपीलांट ने बहस करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा कि रेस्पाडेंट द्वारा अपीलांट के खेत में से रास्ता चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश दिया है वह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्रकरण में तामील सूचना के बिना केस कोर्ट ओलियानी में रखा जाकर निर्णीत कर दिया जो एकपक्षीय रूप से बिना सुनवाई का मौका दिये आदेश दिया गया है। अपीलार्थी सालगदेवी, पुनमसिंह व तेनी का काफी समय पूर्व देहांत हो चुका था इसलिए अपीलाधीन आदेश इन व्यक्तियों के विरुद्ध भी होने से विधिसम्मत नहीं है। बादशाह अपील के समक्ष रिकॉर्ड खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया है जो कानून बनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से भी अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को, जानकारी नहीं होने के कारण हुए विलम्ब के कारण, शामिल कर अपील अंदर मियाद युक्त करने का भी निवेदन किया। अधीनस्थ रेस्पाडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पाडेंट-प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने निकटतम रास्ता ख.नं. 31 जो रेस्पाडेंट-अपीलार्थी की भूमि है, में से मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद मौका रिपोर्ट प्राप्त कर समुचित जांच के बाद अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया है जो उचित है। अपीलाधीन आदेश से सड़क तक न्यूनतम इसी चालता नियमानुसार रास्ता दिया है इसलिए अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपीलांट को आदेश की जानकारी होते हुए भी अपील विलम्ब से पेश की है बिना मियाद बाहर अपील खारिज योग्य है।	

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट को जारी नोटिस/सम्मन तामील होने पर चस्पाइगी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। चस्पाइगी बाबत कोई स्वतंत्र मोतबिरान की मौजूदगी नहीं है, न ही हस्ताक्षर हैं। अपीलांट पर तामील सम्यक नहीं मानी जा सकती लिहाजा अपील के इस विलम्ब का भी कारण सयुक्तिक होने से अपील अपीलांट अंतर्गत मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट पर सयुक्तिक एवं सम्यक तामील के अभाव में अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड, जो प्रकाशीगण हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया उसमें जमाबंदी ग्राम मेघसागरिया संवत 2074-2077 के खाता सं० 48 के अनुसार ख.नं० 31 के खातेदार अर्जुनसिंह पि० खेतसिंह तथा गीतादेवी पत्नी अर्जुनसिंह को अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित नहीं किया, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। दोनो रिकॉर्डेड खातेदार होने से वे आवश्यक पक्षकार हैं। आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी प्रार्थना-पत्र पर प्रदत्त आदेश पूर्णतः एवं सयुक्तिक नहीं है। प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट भी ILR केस द्वारा स्वयं मौका पर जाकर नहीं बनाई बल्कि वह पटवारी हल्का जोलियाली के द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक बनाई गई पेश की गई है इससे भी कारण पालना पूर्ण नहीं होती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अंशतः स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि. 24.6.2018 अपास्त किया जाता है। मामला इजलास कलेक्टर जोधपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ख.नं० 31 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड पुनाविवे समस्त खातेदारों को तथा मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान को प्रकाशकार के रूप में संयोजित कराते हुए उभय पक्ष को सयुक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान करते विधानुसार मौका जाँच करवाकर रिपोर्ट, कम से कम जिलाकलक्टर स्तर के कार्मिक से, लेकर मामले में गुणावगुण पर नये सिरे से आदेश पारित करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नेजर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की एक प्रति सहित L/C की पत्रावली तुरंत भिजवाई जावे ताकि उभय पक्ष को प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वे दि. 10/2/2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। शेष पक्षकारों की शीघ्र तलबी करवाई जाना प्रस्तावित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर